File No: 80-2099/1/2023

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 5/2023/2336131/2023
लखनऊ: दिनांक 16 मई,2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964 की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि मै0 काई वेयर हाउसिंग प्रा0लि0, मोर कोठी, गंगापुर, जिला बरेली के स्वामित्वाधीन प्रस्तावित स्थल ग्राम छतुईया, मथुरा रोड, उझानी, जिला बदायूँ के सात भाण्डागारों (कुल क्षमता 10941.40 मीट्रिक टन) का नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, लकड़ी, फल-सब्जियों के थोक सौंदों हेतु बीस वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उपस्थल की गाटा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, उझानी के मंडी क्षेत्र में स्थित ग्राम छतुईया, मथुरा रोड, उझानी, जिला बदायूँ की भूमि की गाटा संख्याएं -392, 393, 394, 396 एवं 398 कुल भू क्षेत्रफल 1.434हेक्टेयर।

पूरब	-	सम्पर्क मार्ग।
पश्चिम	-	खण्डेलवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0।
उत्तर	-	चकमार्ग।
दक्षिण	-	खेत उदयवीर सिंह आदि।

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 5/2023/2336131/2023,तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 16 मई,2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बदायूँ।
5. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बदायूँ।
6. फर्म मै0 काई वेयर हाउसिंग प्रा0लि0, मोर कोठी, गंगापुर, जनपद बरेली।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

File No: 80-2099/1/2023

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Evam Krishi VideshVyapar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 5/2023/2336131/2023 Dated 16 May, 2023 .

Notification

No. 5/2023/2336131/2023

Lucknow; Dated: 16 May, 2023

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No.25 of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965, the Governor is pleased to declare Seven Warehouses (Total capacity 10941.40 Metric Tonnes) as area detailed below owned by M/s. Kai Ware Housing Pvt. Ltd., Mor Kothi, Gangapur, District Bareilly, proposed place- Village Chhatuiya, Mathura Road, Ujhani, District Badaun shall be function as Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified food grains, pulses, oilseeds, spices, wood, fruits-vegetables for a period of twenty years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

Gata and Boundaries of the Market Sub-Yard

Total land area of 1.434 Hectares of Gata Number-392, 393, 394, 396 & 398 located with in the Market area of Agricultural Produce Market Committee, Ujhani, Village Chhatuiya, Mathura Road, Ujhani, District Badaun.
East : Link road. West : Khandelwal distributors Pvt.Ltd. North: Chakmarg South : Khet Udayveer Singh etc.

By Order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।